इंस्टाग्राम पर वीडियो भी डाला

11 वीं की छात्रा से सहपाठी ने किया दुष्कर्म, वीडियो भी बनाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः गुनगा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में 11 वीं की छात्रा के साथ सहपाठी तीन वर्ष से दुष्कर्म कर रहा था। इस दौरान उसने चुपचाप से वीडियो भी बना लिया था। कुछ माह पहले छात्र ने इंस्टाग्राम पर वीडियो भी डाल दिया।

घटना सार्वजनिक होने पर स्वजन छात्रा को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को अभिरक्षा में लेकर बाल न्यायालय में पेश किया। वहां से उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है। गुनगा थाना पुलिस के मुताबिक क्षेत्र के एक गांव में परिवार के साथ रहने वाली 15 वर्ष की किशोरी 11 वीं में पढ़ती है। तीन वर्ष पहले उसकी सहपाठी छात्र से दोस्ती हो गई। बातचीत शुरू होने पर छात्र ने उसे अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके साथ डरा धमकाकर संबंध बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान उसने घटना का एक वीडियो भी बना लिया था। छह माह पहले उसने अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया। इस बात की जानकारी ग्रामीणों के माध्यम से छात्रा के परिवार के लोगों को मिली। उन्होंने बेटी से पूछताछ की, तो मामला सामने आया। उसके बाद मामला थाने पहुंचा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दुष्कर्म, पोक्सो एवं आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर छात्र को अभिरक्षा में लकर बाल न्यायालय में पेश कर बाल संप्रेक्षण गृह पहुंचा दिया है।

शादी का भरोसा देकर डेढ़ वर्ष तक सहकर्मी से दुष्कर्म, फिर मुकर गया

अयोध्या नगर थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर फर्म में उसके सहकर्मी रहे युवक पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर डेढ़ वर्ष तक युवती के साथ दुष्कर्म किया। छह माह पहले पर उसे छोड़कर चला गया। वह फिलहाल राजस्थान में कहीं रह रहा है। पुलिस टीम उसकी तलाश में जाएगी।

अयोध्या नगर थाना पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में रहने वाली 27 वर्षीय युवती वर्ष 2024 में एक निजी फर्म में काम करती था। उसी फर्म में काम करने वाले अचलसिंह नाम के युवक से उसका परिचय हुआ था। नजदीकियां बढ़ने पर अचलसिंह ने शादी करने का भरोसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। छह माह पहले तक दोनों रिलेशन में रहे। उसके बाद अचानक अचलसिंह ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दी। शादी की बात करने पर वह साफ मुकर गया और भोपाल से गायब हो गया। उसने युवती से संपर्क भी समाप्त कर दिया। परेशान होकर युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी अचलसिंह के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया। वह मूलतः छिंदवाड़ा का रहने वाला है। जांच के दौरान पता चला कि वर्तमान में वह राजस्थान में किसी फर्म में काम कर रहा है। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है।

किरायेदार महिला मजदूर से दुष्कर्म, ठेकेदार फरार

गोविंदपुरा थाना पुलिस ने एक मजदूर महिला की शिकायत पर उसके ठेकेदार के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। वह लंबे समय से डरा धमकाकर महिला का शोषण कर रहा है। महिला ठेकेदार के घर में पति और दो बच्चों के साथ रहती है। घटना की शिकायत की जानकारी मिलते ही आरोपी फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। गोविंदपुरा थाना पुलिस के मुताबिक क्षेत्र की एक निजी कालोनी में रहने वाली 32 वर्षीय महिला निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी करती है। उसके दो बच्चे हैं। पति मिस्त्री का काम करता है। यह दंपती ओकार नाम के ठेकेदार के पास काफी समय से काम कर रहे थे। ठेकेदार ने अपना मकान उन्हें किराए पर रहने के लिए दे दिया था। महिला का पति शराब पीने का आदी है। इस वजह से ठेकेदार ने उसके खिलाफ महिला को भड़काते हुए उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर वह शादी करने की बात कहकर महिला को समझा देता था। पिछले दिनों गणेशोत्सव के समय वह साइट पर काम के बहाने महिला को अपने साथ आगरा भी ले गया था। वहां भी उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। अवैध संबंधों से परेशान होकर महिला ने बुधवार रात थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी। इस बात का पता चलने पर आरोपी ठेकेदार फरार हो गया।

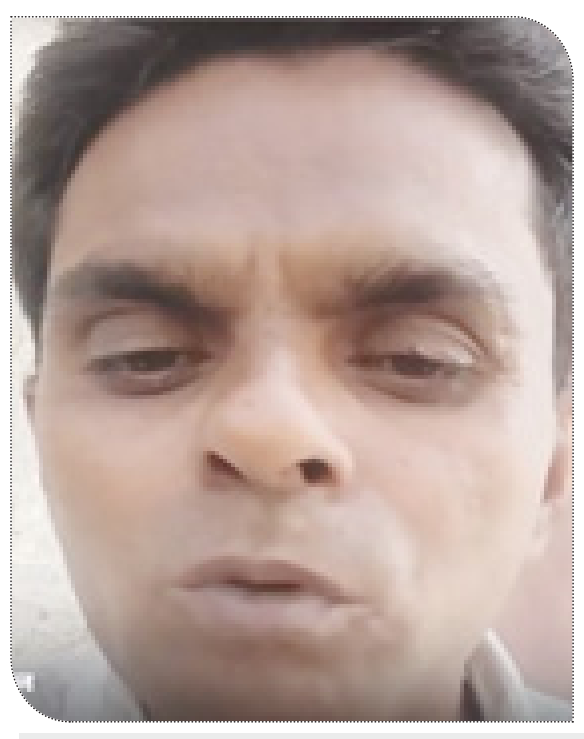
न्याय पाने पांच घंटे तक की मशक्कत

- मौत से पहले बनाया बेबसी भरा 13 मिनट का वीडियो
- गुरुवार रात आरोपी गिरफ्तार

नहीं सुनी गुहार, युवक ने थाने में खाया जहर, मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः कड़ी मेहनत से जुटाई पूंजी जब एक शातिर ठग ने हड़प ली, नरेंद्र नाम का युवक बुरी तरह हताश हो गया। न्याय के लिए उसने अशोका गार्डन थाना में पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस की बेरुखी ने उसे आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया।

बुधवार को शिकायत दर्ज कराने उसने पांच घंटे तक मशक्कत की। अंत में निराश होकर थाना परिसर में जहर खा लिया। आनन फानन में पुलिस ने उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया जहां रात में उसकी मौत हो गई। मौत के पहले उसने एक वीडियो भी बनाया था। 13 मिनट की रिकार्डिंग में नरेंद्र ने अभी तक उसके साथ हुए अन्याय का सिलसिलेवार जिक्र किया है। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। उधर इस मामले में पुलिस ने गुरुवार शाम आरोपी पुलक सक्सेना के खिलाफ धोखाधड़ी एवं खुदकुशी के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया।





पुलक सक्सेना

इधर आरोपी पुलक मुकर गया, उधर लोग रुपये वापस मांगने लगे

नरेंद्र की पत्नी प्रतीक्षा ने बताया कि रुपये हड़प लेने के बाद पुलक ने नरेंद्र से कहा कि जो व्यक्ति लोन स्वीकृत कराने वाला था वह रुपये लेकर भाग गया है। जब नरेंद्र ने अपनी जब अपनी राशि वापस मांगी तो पुलक ने उससे दो टूक कह दिया कि तुम मर भी मर जाओ तो भी रुपये नहीं मिलेंगे। इसके बाद नरेंद्र बुरी तक परेशान हो गया। उधर नरेंद्र पर उधार लिए गए रुपये चुकाने का भी दबाव बढ़ता गया। पिछले एक साल से वह इस परेशानी से जूझ रहा था। पत्नी का आरोप है कि उसने पहले भी थाने में शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बुधवार को वह पुलिस कमिश्नर कार्यालय भी पहुंचा था। वहां आवक-जावक शाखा में शिकायत देकर रसीद ली थी।

लोन का भरोसा देकर साढ़े पांच लाख हड़पे

ग्राम सतियाखेड़ी जिला विदिशा निवासी 40 वर्षीय नरेंद्रसिंह 10 वर्ष से अशोकागार्डन के सेमरा में पत्नी समीक्षा के साथ रह रहा था। वर्तमान में वह रैपिडो चलाकर परिवार का खर्च चला रहा था। छह वर्ष पहले कटाराहिल्स क्षेत्र में रहने वाले पुलक सक्सेना नाम के युवक से नरेंद्र का परिचय हुआ था। चार वर्ष पहले पुलक ने बताया कि वह सरकारी अधिकारी है। अपनी पहचान के माध्यम से वह उसे 12 लाख 85 हजार रुपये का मुद्रा लोन दिला सकता है। झांसे में फंसने के बाद पुलक ने पहले लोन की प्रक्रिया शुरू करने के नाम पर 10,500 रुपये लिए। उसके बाद अन्य मद में 25 हजार लिए। उसके बाद जल्द लोन स्वीकृत होने के नाम पर किस्तों में नरेंद्र से 2.85 लाख रुपये हड़प लिए। लोन मिलने की आस में नरेंद्र कर्ज लेकर रुपये जमा करता रहा। अलग-अलग मद में पुलक ने कुल साढ़े पांच लाख रुपये ले लिए थे, लेकिन लोन नहीं मिला।

सुबह घर से निकला शाम को खाया जहर

प्रतीक्षा ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 11 बजे नरेंद्र घर से खाना बनाने की बात कहकर निकला था। वह अशोका गार्डन थाने पहुंचा और दोपहर करीब दो बजे तक पत्नी को कई बार फोन किए। आरोप है कि उसे शाम को आने और टीआइ से मिलने के लिए कहा गया था। दोबारा थाने पहुंचने पर भी उसकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने आगंतुक कक्ष में जहरीला पदार्थ खा लिया। शाम करीब सात बजे थाने से उसे घटना की सूचना मिली। हमीदिया अस्पताल पहुंचने पर नरेंद्र ने सल्फास खाने की बात बताई। गुरुवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

नरेंद्र ने मौत से पहले बनाए वीडियो में पुलक सक्सेना को अपने इस कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया। उसने बताया कि किस तरह लोन के नाम पर उससे रकम ली गई, कर्ज बढ़ता गया और रकम वापस मांगने पर भी उसे राहत नहीं मिली। उसने सरकार से पुलक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, ताकि कोई और इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार ना बन सके।

थाना प्रभारी बोले- दो बार आया, सिर्फ मेरा पता पूछकर चला गया

अशोका गार्डन थाना प्रभारी अनुराग लाल का कहना है कि नरेंद्र ने थाने के बाहर जहर खाया था। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के समय वह टीटी नगर क्षेत्र में एक राजनीतिक कार्यक्रम की ड्यूटी पर थे। उनका दावा है कि नरेंद्र दो बार थाने आया था, लेकिन सिर्फ थाना प्रभारी के बारे में पूछकर लौट गया। नरेंद्र की जेब से पुलिस कमिश्नर कार्यालय की आवक-जावक शाखा की रसीद मिली है। प्रारंभिक जांच में उस पर कर्ज होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले में सामने आए तथ्यों और उसके परिवार के लोगों के बयानों की जांच कर रही है।

जल-सुरक्षित विकसित मप्र के लिए नीति प्रारूप पर सुझाव आमंत्रित

नप्र, भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 'मध्यप्रदेश उपचारित अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग नीति-2026' का प्रारूप सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में नीति प्रारूप जारी किया गया। सरकार ने विशेषज्ञों के साथ आम नागरिकों से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। नीति का उद्देश्य उपचारित अपशिष्ट जल को उपयोगी संसाधन के रूप में विकसित कर पेयजल और भूजल पर निर्भरता कम करना है।

केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री ने आधुनिक कृषि यंत्रों का अवलोकन किया

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपालः भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ.एमएल जाट ने गुरुवार को केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल का भ्रमण किया।

इस अवसर पर उप महानिदेशक (कृषि विस्तार) डॉ.राजबीर सिंह, उप महानिदेशक (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) डॉ. एके नायक, आइसर के निदेशक डॉ.एम मोहंती तथा डॉ. सीआर



मेहता सहित संस्थान के वैज्ञानिक उपस्थित रहे।

भ्रमण के दौरान संस्थान द्वारा विकसित विभिन्न कृषि अभियांत्रिकी एवं कृषि यंत्रीकरण तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। विशेष रूप से तरल किण्वित जैविक खाद के यंत्रीकृत अनुप्रयोग हेतु विकसित एप्लीकेटर की प्रगति एवं कार्यप्रणाली का अवलोकन किया गया। यह यंत्र बुवाई से पूर्व बायोगैस स्लरी के सतही एवं भूमिगत अनुप्रयोग को सुगम बनाएगा तथा भारत सरकार की गोबरधन योजना के अंतर्गत 'अपशिष्ट से संपदा' की अवधारणा को बढ़ावा देगा। वैज्ञानिकों ने संस्थान की विभिन्न किसानोपयोगी तकनीकों, कृषि यंत्रीकरण, नवाचारों एवं उनके संभावित लाभों की जानकारी प्रस्तुत की।

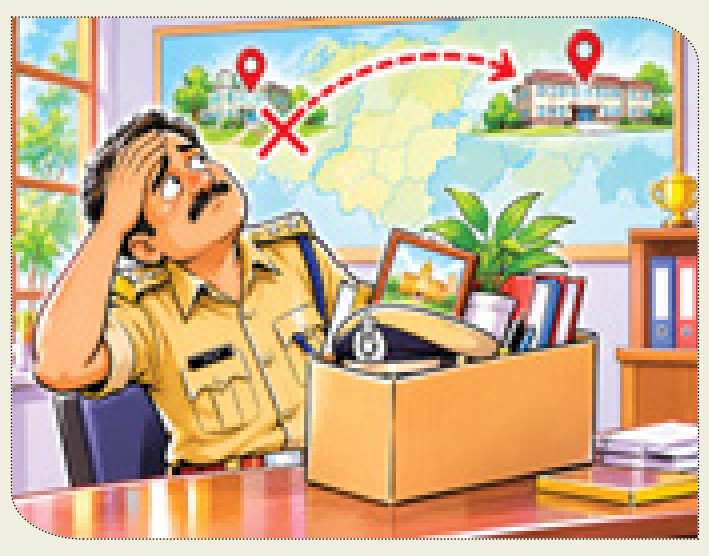


• चर्चा उपेक्षा की, हो गया इस्तीफा...



युवा अधिकारी और दो बार उनका सिर्फ इसलिए तबादला कि उनके जिले में उनकी पदस्थापना के बाद अवैध शराब का कारोबार इतना क्यों बढ़ जाता है? जहरीली शराब के कारण हुई मौतों के लिए क्या सिर्फ पुलिस अधिकारी ही जिम्मेदार हैं? हटाए गए साहब की नाराजगी की चर्चा तो थी, लेकिन बात इस्तीफे तक पहुंच गई। यह चर्चा का विषय बना हुआ है।

• तैयारी धरी रह गई...



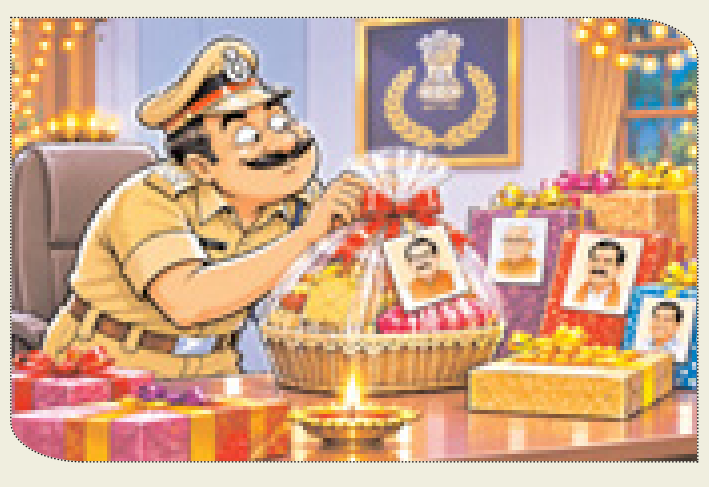
साहब बहुत अच्छी जगह पदस्थ थे और जमावट ऐसी कि तैयारी कुछ बरसों तक यहीं रहने की थी। जिला मुख्यालय के पास के एक बड़े शहर में बहुत बड़े-बड़े प्लान बनाकर योजनाओं पर काम भी शुरू हो गया था, लेकिन हाय री किस्मत! अब न इधर के रहे, न उधर के। पद से हटते ही सहयोगी और मददगार भी कन्नी काटते नजर आ रहे हैं।

• भरोसा तो किया, लेकिन...



प्रदेश के एक सीमावर्ती जिले में बड़े साहब का भरोसा जीतने के लिए कुछ साहबों ने रात-दिन एक कर दिया और उम्मीद की कि साहब के सबसे भरोसेमंद के रूप में दो दोस्तों में से कोई एक ही पदस्थ होता है तो भी चलेगा, लेकिन भरोसा भी काम नहीं आया। दोनों को पीछे छोड़ कोई तीसरा ही मैदान मार गया।

• बधाई का बहाना या कुछ और...



राजधानी से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक जिले में पदस्थ एक बड़े साहब अपनी जमावटों के लिए जाने जाते हैं। दीपावली पर्व को भी उन्होंने सबको साधने का अवसर बना दिया। साहब के बहुत भरोसे के कुछ लोग पूरी सावधानी से दीपावली को हर उस बड़े और सत्ता में ताकतवर भूमिका वाले माननीय तक बधाई पहुंचाने का माध्यम बना रहे हैं।

• काम से ज्यादा सुंदरता के चर्चे...



मालवा क्षेत्र में पदस्थ एक पुलिस अधिकारी अपने काम को पूरी शिद्दत और समर्पण के साथ निभाने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन वे जिस भी क्षेत्र में बैठकों और जनसरोकार के आयोजनों में पहुंचती हैं, वहां ग्रामीण उनके काम से ज्यादा उनकी सुंदरता से आकर्षित हो रहे हैं। यह उनके अच्छे व्यवहार और जनता से सीधे संवाद के चलते हो रहा है।

• मैं नहीं तो वो भी नहीं...



एक वरिष्ठ अधिकारी इन दिनों अपने आपको शीर्ष मुखिया की कुर्सी तक पहुंचाने के बहुत करीब आ रहे थे, लेकिन उनके कुछ शुभचिंतकों ने ऐसा लगता है कि बाजी पलट दी है। ऐसा लगता है कि प्रशासनिक मुखिया बनने के दौरान भी एक साहब बनते-बनते रह गए थे। ऐसा ही पुलिस विभाग में भी होने जा रहा है।

धनवंतरी, कुबेर लक्ष्मी के साथ होगा बटेश्वर का दिव्य श्रृंगार

नप्र, भोपाल : श्री बड़वाले महादेव मंदिर सेवा समिति द्वारा शुक्र प्रदोष एवं धनतेरस के अवसर पर भगवान धनवंतरी कुबेर व माता लक्ष्मी के साथ मां गौरा संग बाबा बटेश्वर का जवाहरात नये नोट और फूलों से श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही 5001 दीपकों से शिवालय को जगमगाया जाएगा।

समिति के संजय अग्रवाल एवं प्रमोद नेमा ने बताया शुक्र प्रदोष एवं धनतेरस के अवसर पर अच्छे स्वास्थ्य एवं समद्धि की कामना की जाएगी। इसके लिए औषधि के देवता धनवंतरी धन-धान्य के देवता कुबेर एवं धर्म परायण लक्ष्मी प्राप्ति हेतु माता लक्ष्मी के साथ बाबा बटेश्वर एवं मां गौरा का विशेष श्रृंगार होगा। इसमें डेढ़ किलो सोने चांदी के जेवर, जवाहरात तथा 11 लाख रुपये के नए नोट का उपयोग होगा। दिव्य श्रृंगार करने के साथ ही शिवालय में 5001 प्रज्ज्वलित करते हुए रात 10 बजे दीपोत्सव मनाया जाएगा।

मुरासू के कमजोर पड़ते ही गुलाबी ठंड की दस्तक

भोपाल में पारा 13.5 डिग्री पर, पचमढ़ी से भी ठंडा रहा शाजापुर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः बंगाल की खाड़ी में उठा भीषण चक्रवाती तूफान मुरासु काफी कमजोर पड़ चुका है। वर्तमान में कोई मजबूत मौसम प्रणाली के सक्रिय नहीं रहने से मौसम साफ हो गया है। उत्तरी भारत की तरफ से आ रही ठंडी हवाओं के कारण अब मध्य प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है।

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक 10 अक्टूबर से एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने के बाद रात के तापमान में फिर बढ़ोतरी होने लगेगी। इसी क्रम में बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात का सबसे कम 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो हिल स्टेशन पचमढ़ी के न्यूनतम तापमान (12.4 डिग्री सेल्सियस) की तुलना में 0.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। भोपाल में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठा भीषण चक्रवाती तूफान मुरासु काफी कमजोर पड़कर अब तेलंगाना के आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। दक्षिण-पश्चिमी उत्तराखंड पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ वर्तमान में द्रोणिका के रूप में पाकिस्तान और उससे लगे जम्मू पर बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि मुरासु का असर शुक्रवार तक समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में कोई मजबूत मौसम प्रणाली भी सक्रिय नहीं है।

इस वजह से बादल छंट गए हैं। मौसम साफ होने के कारण तापमान में गिरावट होने लगी है। अगले दो-तीन दिन तक न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट हो सकती है। 10 अक्टूबर को एक तीव्र प्रकृति के पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में आने की संभावना है। उसके प्रभाव से हवाओं का रुख बदलने से एक बार फिर रात के तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी की उम्मीद भी है। जिसके चलते पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के बाद नवंबर माह के मध्य से प्रदेश में अच्छी ठंड की शुरुआत होने की भी संभावना है।

युवक को वेल्डिंग मशीन से लगा करंट, मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पिपलानी थाना इलाके में बुधवार शाम जेके रोड के पास एक निर्माणाधीन शेड में वेल्डिंग का काम करने के दौरान युवक को करंट लग गया। उसके साथी उसे लेकर पास के एक निजी अस्पताल पहुंचे। वहां कुछ देर तक चले उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पिपलानी थाना पुलिस के मुताबिक ग्राम कोकता निवासी 20 वर्षीय आकाश पुत्र तखतसिंह प्रजापति अपने दोस्त राजेश के साथ फ्रेब्रिकेशन का काम करता था। दोनों ठेके पर वेल्डिंग आदि का काम करते थे। वर्तमान में उसकी साइट जेके रोड के पास चल रही थी। वहां वे लोग एक शेड बनाने का काम कर रहे थे। बुधवार शाम को काम पूरा करने के बाद आकाश शेड में वेल्डिंग मशीन की केबल लपेट रहा था। राजेश और अन्य कर्मचारी शेड के बाहर खड़े हुए थे। इस दौरान करंट का तेज झटका लगने के बाद आकाश दौड़कर राजेश के पास पहुंचा और बताया कि उसे करंट लग गया है। साथ ही बेसुध होकर वहीं गिर पड़ा। राजेश उसे उपचार के लिए अनंतश्री अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टर ने उसका उपचार शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल
आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नेहरु नगर, भोपाल में स्थित शेड क्र.- एस/398 मंडल व्दारा श्री राजेश कौशिक आत्मज स्व. श्री शिव प्रकाश कौशिक के नाम से नामांतरित है, उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 22/07/1999 को पंजीकृत है एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 27/09/2017 को पंजीकृत है ।। श्री राजेश कौशिक से उक्त संपत्ति श्रीमती निशा चौरे पत्नी श्री योगेश चौरे ने क्रय कर विक्रय विलेख का पंजीयन दिनांक 13/10/2026 को अपने पक्ष में करा लिया है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये उक्त संपत्ति श्रीमती निशा चौरे पत्नि श्री योगेश चौरे के नाम से हस्तांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेज के आधार पर उक्त संपत्ति का हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त संपत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे । समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मंडल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल
3071

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल
आम सूचना
हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, करोंद, बैरसिया रोड, भोपाल में स्थित भूखण्ड क्रमांक एस.एल.-157 मण्डल द्वारा श्री विजय सिरवैया आत्मज श्री गोरेलाल सिरवैया के नाम से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख मण्डल द्वारा पंजीयन कार्यालय से दिनांक 13/06/2025 को पंजीकृत है। श्री विजय सिरवैया आत्मज श्री गोरेलाल सिरवैया द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती पूनम पत्नी श्री रिंकू जाटव को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 08/10/2025 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति श्रीमती पूनम पत्नी श्री रिंकू जाटव के नाम से हस्तांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति का हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सपंत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल
3070

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल
आम सूचना
हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, करोंद, बैरसिया रोड, भोपाल में स्थित भूखण्ड क्रमांक 612/बी मण्डल द्वारा श्री जलील अहमद अब्बासी आत्मज श्री वहीद अहमद अब्बासी के नाम पर आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 11/05/1988 को पंजीकृत किया गया है। श्री जलील अहमद अब्बासी द्वारा उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण हेतु श्री मकसूद आजम के पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत किये थे लेकिन हस्तांतरण फीस व अन्य कार्यवाही नही हो पाई उसके पश्चात श्री जलील अहमद अब्बासी द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती नजमा आजम पत्नी श्री मकसूद आजम को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 21/08/2007 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। परन्तु क्रेता / विक्रेता द्वारा मण्डल से हस्तांतरण की कार्यवाही नहीं कराई गई एवं इसी बीच क्रेता श्रीमती नजमा आजम का स्वर्गवास दिनांक 12/11/2009 को व उनके पति श्री मकसूद अहमद का स्वर्गवास दिनांक 24/11/2013 को हो गया है। सम्पत्ति के क्रेता श्रीमती नजमा आजम के वारिस उनकी इकलौती पुत्री श्रीमती कायनात आजम पत्नी श्री सैयद फरहान अली, पुत्री स्व. श्री मकसूद आजम द्वारा आवेदन, शपथ पत्र (स्वयं का), विक्रय विलेख की छायाप्रति, मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति इत्यादि के आधार पर उक्त सम्पत्ति हस्तांतरित व नामांतरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किय गये है। उनके द्वारा यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है कि सम्पत्ति के मूल आवंटी श्री जलील अहमद अब्बासी एवं उनके परिवार का वर्तमान में कही पता नही चल रहा है। भविष्य में किसी भी वाद-विवाद हेतु वही स्वयं जिम्मेदार होगे। प्रस्तुत दस्तावेजो एवं विक्रय विलेख दिनांक 21/08/2007 के आधार पर उक्त सम्पत्ति के आधार पर उक्त सम्पत्ति श्रीमती कायनात आजम पत्नी श्री सैयद फरहान अली के नाम पर हस्तांतरण व नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति / उत्तराधिकारी / संस्था / वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा रहेगा।
सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल
3069

परिशिष्ट B-संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल दशम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, भोपाल
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
आरसीएस ए/1381/2025
श्रीमती दीपा देवी बनाम खुशालदास
NEXT DATE :09-12-2026
प्रेषित -खुशालदास श्री उधवदास पता-ईदगाह हिल्स, भोपाल म.प्र. यह कि प्रार्थी श्रीमती दीपा देवी ने आपके विरुद्ध आरसीएस ए/1381/2025 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 09-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।
शरद जायसवाल, न्यायाधीश
दशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
भोपाल (म.प्र.)
3068

परिशिष्ट B-संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल दशम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, भोपाल
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
आरसीएस ए/1381/2025
श्रीमती दीपा देवी बनाम खुशालदास
NEXT DATE :09-12-2026
प्रेषित -सुनील श्री दुर्गोमल पता-ईदगाह हिल्स, भोपाल म.प्र. यह कि प्रार्थी श्रीमती दीपा देवी ने आपके विरुद्ध आरसीएस ए/1381/2025 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 09-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।
शरद जायसवाल, न्यायाधीश
दशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
भोपाल (म.प्र.)
3067